न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
12/2013/प्रा.पत्र/2018	21.06.2013	01.08.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1–विक्रेता श्री दुलहाना सिन्धी पुत्र श्री बिसन दास सिन्धी निवासी जनता कॉलोनी बस स्टैण्ड के पीछे मालपुरा जिला टोंक प्रोपराईटर मैसर्स पूनम ट्रेडर्स बस स्टैण्ड मालपुरा जिला टोंक
2–मैसर्स पूनम ट्रेडर्स बस स्टैण्ड मालपुरा जिला टोंक
3–श्री भगवान सहाय पुत्र श्री रामप्रताप निवासी ई–7 मधुबन कॉलोनी टोंक फाटक वार्ड नं. 20 जयपुर प्रोपराईटर मैसर्स अंकित ट्रेडर्स 373, रामगंज बाजार, जयपुर
4– मैसर्स अंकित ट्रेडर्स 373, रामगंज बाजार, जयपुर
5–श्री रामअवतार नाटानी पुत्र श्री जगनाथ प्रसाद नाटानी निवासी प्लाट नं. 52, देव विहार खण्डेलवाल नगर आगरा रोड जयपुर नॉमिनी मैसर्स ए.एम. प्रोडक्ट 7–छहा–23 जवाहर नगर जयपुर
6–मैसर्स ए.एम. प्रोडक्ट 7–छहा–23 जवाहर नगर जयपुर

..... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अप्रार्थी एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित ।

:–**निर्णय**–: **दिनांक 01.08.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.09.2012 को समय 01:30 पीएम पर मैसर्स पूनम ट्रेडर्स बस स्टैण्ड मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री दुलहाना सिन्धी पुत्र श्री बिसन दास सिन्धी मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री दुलहाना सिन्धी ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया एवं ने मौके पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु कागज के कार्टून में लगभग 80 पैकेट **पान मसाला (अम्बर)** के पोली पैक रखे हुए थे, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री दुलहाना सिन्धी को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री दुलहाना सिन्धी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर सह सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

को बताकर कि यह **पान मसाला (अम्बर)** वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, चार पैकेट खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा चार पैकेट **पान मसाला (अम्बर)** को चार प्लास्टिक के डिब्बों में प्रत्येक डिब्बे में एक पैकेट रखकर एवं चारों भाग हेतु चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–381 एवं पूर्ण विवरण अकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–381 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री दुलहाना सिन्धी ने मौके पर मैसर्स मैसर्स अंकित ट्रेडर्स 373, रामगंज बाजार, जयपुर का बिल पेश कर उक्त पान मसाला क्रय करना बताया एवं मैसर्स मैसर्स अंकित ट्रेडर्स से पत्र व्यवहार करने पर बतौर सबूत मैसर्स मैसर्स ए.एम. प्रोडक्ट 7–छहा–23 जवाहर नगर जयपुर का बिल पेश कर उपरोक्त पान मसाला क्रय करना बताया जो इसके उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./12/3718 दिनांक 03.10.2012 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट स. एल.एस./687/एफएसएसए/2012/687 दिनांक 11.10.2012 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **पान मसाला (अम्बर) मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्म के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से दिनांक 30.04.2015 को श्री अशोक कासलीवाल एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा परन्तु कई अवसर देने के जवाब पेश नहीं किया और ना ही अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुए। दिनांक 23.02.2017 को अप्रार्थी सं. 3 ता 6 की ओर से श्री तेजमल जैन एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा एवं आज जवाब पेश किया एवं जवाब में अंकित किया कि नमूना लेने में जो प्रकिया अपनाई है, वो विधि अनुसार नहीं हैं। उक्त परिवाद प्रस्तुत करने की अनुमति लगभग 4 माह दी हैं क्योंकि नमूना 21.09.2012 को लिया गया था तथा अभियोजन स्वीकृति 30.01.2013 को दी गई जो सारे मामले में संदेह उत्पन्न करता हैं। जनविश्लेषक की रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण हैं। साथ ही अंकित किया

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

कि पान मसाला व गुटखा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नहीं आता यह सिगरेट एवं टुबेको प्रोडक्ट एक्ट 2003 के अंतर्गत आता है। उक्त परिस्थितियों में परिवाद निरस्त किये जाने योग्य हैं। साथ ही यह भी निवेदन किया कि प्रार्थी को खाद्य सुरक्षा व अन्य गवाहान को तलब किए जाकर उनसे जिरह की अनुमति प्रदान की जावें।

अभिभाषक अप्रार्थीगण के जवाब में पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी केवल मात्र प्रकरण के निस्तारण में देरी करने के लिए गवाहान को तलब करना चाहते हैं जो अनुचित एवं निराधार हैं। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2011 के नियम 3.1 न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों के नियम 9 में स्पष्ट अंकित हैं कि प्रकरण में सुनवाई की पहली तारीख से 90 दिन के भीतर न्यायनिर्णयन अधिकारी अंतिम आदेश पारित करेगा। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **पान मसाला (अम्बर)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **पान मसाला (अम्बर)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 90,000/– (अक्षरे नब्बे हजार रूपये), अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 2,50,000/– (अक्षरे दो लाख पचास हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 5 व 6 पर कुल शास्ति रूपये 3,00,000/–(अक्षरे तीन लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 01.08.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज 01.08.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशराम धानका)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0